प्रस्तुत दिनांक 12-3-

१1१ रामेश्वर प्रसाद यादव आ0 स्व0 राधेलाल,
उम्र करीब 50 वर्ष, निवासी ग्राम सेमरी,
पोस्ट सेमरी, तहसील रेहटी, जिला-सीहोर१ म्र१

१2१ मिश्रीलाल आ0 स्व0 राधेलाल,उम्र करीब 42वर्ष,
निवासी ग्राम सेमरी,पोस्ट सेमरी,तहसील रेहटी,
जिला सीहोर १म0प्र १

R-953-PBM14

१3१ श्रीमती शांतिबाई पुत्री राधेलाल पत्नी भैयालालदयादव,
उम्र 54 वर्ष करीब, निवासी - खनपुरा, पोस्ट सेमरी,
तहसील रेहटी, जिला सीहोर १म.प्र.१ ...

१4१ सावित्रीबाई पुत्री राधेलाल, उम्र 32 वर्ष,
निवासी मार्फत रामेश्वरप्रसाद यादव,
ग्राम सेमरी, पोस्ट सेमरी,तहसील रेहटी,
जिला सीहोर १म0प्र 0१

प्रस्तुत श्री देव मुरारी अभिभाषक द्वारा आज दिनांक 12-3-14 को भोपाल कैम्प पर प्रस्तुत।
12-3-14

१5१ श्रीमती गायत्रीबाई पुत्री राधेलाल पत्नी मदनलाल यादव,
निवासी ग्राम मरोड़ा, तहसील इटारसी,
जिला - होशंगाबाद१म0प्र0१

... पुनरीक्षणकर्ता
आवेदकगण.

बनाम

1. कन्हैया आ0 स्व0 बल्लू १मृत१ विधिक वारसान :-

१1१ रामेश्वर प्रसाद वल्द स्व0 राधेलाल,उम्र 50वर्ष,
निवासी - सेमरी,पोस्ट सेमरी, तहसील रेहटी,
जिला सीहोर १म0प्र0१

19.3.14

१2१ मिश्रीलाल आ0 स्व0 राधेलाल, उम्र 42 वर्ष,
निवासी -सेमरी, पोस्ट सेमरी, तहसील रेहटी,
जिला सीहोर १म्र 0१

१3१ शांतिबाई पत्नी भैयालाल; यादव, उम्र 54 वर्ष,
निवासी खनपुरा, पोस्ट सेमरी, तहसील रेहटी,
जिला सीहोर १म0प्र 0१

रामेश्वर प्रसाद

१अविरत...2१

(4) सावित्रीबाई पुत्री स्व० राधेलाल, उम्र 32 वर्ष,
निवासी - भाई रामेश्वर प्रसाद यादव के पास,
सेमरी पोस्ट, सेमरी, तहसील रेहटी, जिला-सीहोर (म०प्र०)

(5) गायत्री बाई पत्नी मदनलाल यादव पुत्री स्व० राधेलाल,
निवासी ग्राम मरोड़ा, तहसील इटारसी,
जि० होशंगाबाद (म०प्र०)

2. रामगोपाल वल्द मूरत (मृत) विधिक वारसान :-

(1) भगवती बाई पत्नी स्व० रामगोपाल, उम्र 73 वर्ष,
निवासी मातापुरा, कोहदा, तहसील इटारसी

(2) श्यामबाई पुत्री स्व० रामगोपाल पत्नी कमल यादव,
उम्र 58 वर्ष, निवासी ग्राम पाहनबर्री, तहसील
इटारसी, जि० होशंगाबाद (म० प्र०)

(3) शकुनबाई पुत्री स्व० रामगोपाल पत्नी प्रेमयादव,
उम्र 30 वर्ष, निवास ग्राम सहेली, तहसील इटारसी
जि० होशंगाबाद (म०प्र०)

(4) सेवंतीबाई पुत्री स्व० रामगोपाल पत्नी रामायादव
उम्र 44 वर्ष, निवासी ग्राम ताकू, तहसील इटारसी,
जि० होशंगाबाद (म० प्र०)

(5) कृष्णाबाई पुत्री स्व० रामगोपाल पत्नी पतिराम
यादव, उम्र 38 वर्ष, निवासी बोरी, तहसील रेहटी,
पोस्ट सेमरी, थाना रेहटी, तहसील व जि० सीहोर (म०प्र०)

(6) मुरलीधर आ० स्व० रामगोपाल यादव, उम्र 56 वर्ष,
निवासी मातापुरा, ~~कोहदा~~ कान्हवा, तहसील इटारसी

(7) गुलाबचंद आ० स्व० रामगोपाल यादव, उम्र 54 वर्ष,
निवासी जवाहरखेड़ा, पोस्ट जवाहरखेड़ा, थाना शाहगंज,
जिला सीहोर (म०प्र०)

(8) बालमुकुंद आ० स्व० रामगोपाल, उम्र 42 वर्ष,
निवासी मातापुरा, कोहदा, तहसील इटारसी

(7) दुर्गाप्रसाद आ० स्व० रामगोपाल, उम्र 42 वर्ष,
निवासी मातापुरा, कोहदा, तहसील इटारसी,
जिला होशंगाबाद (म०प्र०) ...उत्तरवादीगण/
अनावेदकगण

पुनरीक्षण याचिका अंतर्गत धारा 50 म०प्र० भू-राजस्व संहिता, 1959 :-
==

पुनरीक्षणकर्तागण की ओर से सविनय पुनरीक्षणयाचिकाप्रस्तुत है :-

1. अधिनस्थ न्यायालय श्रीमान् अनुविभागीय अधिकारी महोदय (श्रीमती षणमुखप्रिया मिश्रा) इटारसी द्वारा राजस्व प्रकरण क्रमांक 235/बी-121/12-13, जिसके पक्षकार रामेश्वर प्रसाद यादव -+- अन्य बनाम कन्हैयालाल वगैरह होकर रहे हैं, में दिनांक 04.02.2014 को पारित आदेश से दुःखित एवं क्षुब्ध होकर, माननीय न्यायालय के समक्ष निम्न आधारों एवं मुद्दों के साथ यह पुनरीक्षण याचिका समयावधि में, विधि अनुसारप्रस्तुत है :-

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निग0 953–पीबीआर/2014 जिला होशंगाबाद

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
24–4–2014	आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्को पर विचार किया गया । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश दिनांक 4–2–2014 की सत्य प्रतिलिपि का अवलोकन किया गया । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा आवेदकगण की ओर से म0 प्र0 भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में बाद में केवल संहिता कहा जावेगा) की धारा 113 के अंतर्गत प्रस्तुत आवेदन पत्र निरस्त कर प्रकरण दाखिल रिकार्ड किया गया है । यद्यपि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा आदेश में यह उल्लेख किया गया है कि प्रकरण अंतरिम आदेश हेतु नियत है, जिस पर आदेश किया जा रहा है, परन्तु उनके द्वारा अंतिम स्वरूप का आदेश पारित किया गया है और अंतिम स्वरूप का आदेश अपीलनीय आदेश होकर निगरानी योग्य आदेश नहीं है । इसके अतिरिक्त संहिता की धारा 113 में प्रावधानित किया गया है कि किसी भी समय लेखन संबंधी किसी भी गलती को, तथा किसी भी ऐसी गलती को , जिसके संबंध में हितबद्ध पक्षकार यह स्वीकार करते हो कि वे अधिकार अभिलेख में हुई है अनुविभागीय अधिकारी शुद्ध कर सकेंगे एवं शुद्ध करवा सकेंगे। वर्तमान प्रकरण में अनावेदकगण द्वारा गलती होना अस्वीकार किया गया है । अतः अनुविभागीय अधिकारी द्वारा प्रथम दृष्टया आवेदकगण की ओर से प्रस्तुत आवेदन पत्र संहिता की धारा 113 की श्रेणी में नहीं होने से निरस्त करने में विधिसंगत कार्यवाही की गई है। अतः यह निगरानी विधि के प्रावधानों के अनुरूप प्रस्तुत नहीं किये जाने एवं आधारहीन होने से अग्राह्य की जाती है । (स्वदीप सिंह) अध्यक्ष	Noted [illegible] 24/4/14